314

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

अनिल क्षेत्रपाल से पहले, जे.

हमीर सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

नरेश कुमार और अन्य-2013 का उत्तरदाता सी. आर. सं. 6897

11 जनवरी, 2024

अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 22 को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि न्यायालय को वादी को भूमि या संपत्ति के संभावित मूल्य के 1/5 वें हिस्से तक प्रतिभूति जमा करने या दाखिल करने के लिए कहने का विवेकाधिकार है। धारा 22 की उप-धारा (4) में प्रावधान है कि यदि वादी न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर या ऐसे आगे के समय के भीतर विफल रहता है जिसे न्यायालय जमा करने की अनुमति दे, तो उसकी शिकायत खारिज हो जाएगी या उसकी अपील खारिज हो जाएगी। उप-धारा (5) के खंड (ए) में प्रावधान है कि यदि इस तरह से जमा की गई कोई राशि वादी द्वारा वापस ले ली जाती है, तो मुकदमा या अपील खारिज कर दी जाएगी। (पैरा 12) ने आगे अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का दूसरा तर्क भी आधारहीन है क्योंकि पहली अपीलीय अदालत ने आई. डी. 1 पर दो अपीलों पर निर्णय लेते हुए कहा था कि पूर्व-प्रवर्तन धन के एक तिहाई हिस्से के रूप में जमा की गई राशि को वापस किया जाना चाहिए। यह याचिकाकर्ता है, जिसने धनवापसी के लिए आवेदन किया था। एक बार जब उन्होंने दिनांकित 23.01.1996 के फैसले की शुद्धता को चुनौती देने के लिए अपील दायर करने का फैसला किया, तो किसी ने उन्हें राशि वापस लेने के लिए मजबूर नहीं किया। इसके अलावा, वैकल्पिक में याचिकाकर्ता को कम से कम राशि को फिर से जमा करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता थी, जब उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से मामले को गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए पहली अपीलीय अदालत में वापस भेज दिया। इन परिस्थितियों में, इस अदालत को पक्षों के बीच अंतर-विवाद का फैसला करने के लिए कहा जाता है।

जैसा कि हमीर सिंह बनाम नरेश कुमार और अन्य

315

( अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार जब वादी अपनी इच्छा से पूर्व-मुक्ति राशि का पांचवां हिस्सा वापस ले लेता है, तो मुकदमा या अपील खारिज होने योग्य है। इसी तरह, अवतार सिंह बनाम रमेश कुमार और अन्य 2 में, उप-धारा 5 के खंड (ए) की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा कि एक बार जर-ए-पंजाम यानी पूर्व-मुक्ति राशि का 1/5 वां हिस्सा वापस ले लिया जाता है, तो अदालत को धारा 22 या किसी अन्य प्रावधान के तहत उपरोक्त राशि को फिर से जमा करने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। (पैरा 14) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि बिक्री विलेख के निष्पादन की तारीख से अब तक लगभग 35 वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए, न्यायालय याचिकाकर्ता को राशि को फिर से जमा करने की अनुमति देना उचित नहीं समझता है, विशेष रूप से जब न तो इसे फिर से जमा करने का कोई प्रावधान है और न ही याचिकाकर्ता ने इसे फिर से जमा करने के लिए कोई कदम उठाया है, जब उच्च न्यायालय द्वारा 09.12.2003 पर नियमित दूसरी अपील की अनुमति दी गई थी। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का यह निवेदन कि निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता है, सारहीन है। यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक पूर्व-मुक्ति मामले में आदेश XX नियम 14 सी. पी. सी. के अनुसार एक सशर्त डिक्री पारित की जाती है, और एक बार इसका पालन नहीं किया गया है, तो डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 15)

राजेश सेठी, अधिवक्ता, अरुण बिरिवाल, अधिवक्ता, परमदीप सिंह, अधिवक्ता, प्रीति बंसल, अधिवक्ता, प्रतिवादी नं. 1 6 तक। गुरिंदर पाल सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादी नं। 7.

अनिल क्षेत्रपाल, जे।

(3) पंजाब प्री-एम्पशन 1 1970 पंजाब लॉ जर्नल, 585 की धारा 15 के अनुसार 2 ए. आई. आर. 1983 पी एंड एच, 259 316

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

3 1986 (2) एससीसी 249

4 2001 (8) एस. सी. सी. 24 हमीर सिंह बनाम नरेश कुमार और अन्य

317

( अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

अपीलीय न्यायालय योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेगा। पहली अपीलीय अदालत ने निर्णय और डिक्री दिनांक 27.05.2006 के माध्यम से दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। (5) याचिकाकर्ता ने 02.09.2006 पर एक निष्पादन याचिका दायर की। निष्पादन याचिका के लंबित रहने के दौरान, यह महसूस किया गया कि याचिकाकर्ता ने वास्तव में, 23.01.1996 पर पहली अपीलीय अदालत द्वारा विक्रेता की अपील की अनुमति दिए जाने के बाद पूर्व-मुक्ति धन का 1/5 हिस्सा वापस ले लिया था। याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व-मुक्ति राशि के पांचवें हिस्से सहित पूरी राशि जमा करने के लिए दायर आवेदन को निष्पादन न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिसे बाद में यह महसूस करने पर वापस ले लिया गया कि ऐसी अपील विचारणीय नहीं है। इसके बाद, इस पुनरीक्षण याचिका को देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन के साथ दायर किया गया था जिसे अनुमति दी गई थी। (6) इस पीठ ने पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया है। (7) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने पहली अपीलीय अदालत द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अदालत के निर्देश के अनुसार राशि वापस ले ली थी, प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाला गया हैः -

“जमा की गई राशि, यदि कोई हो, एक तिहाई पूर्व-प्रवर्तन राशि या शेष राशि के रूप में संबंधित वादी को वापस कर दी जाएगी। डिक्री शीट तैयार की जाए और फाइल को रिकॉर्ड में भेज दिया जाए। विद्वत विचारण न्यायालय की फाइल को निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जाए। ”

(8) वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता ने अपने दम पर राशि नहीं निकाली थी और उसने अपने पूर्व-खाली अधिकारों का पूर्वाग्रह किए बिना राशि निकाल ली थी। वह प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित डिक्री को लागू करने की आवश्यकता है और निचली अदालत ने राशि जमा करने की अनुमति से इनकार करने में गलती की है। सांवल दास बनाम जगोमल और अन्य 5 में एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि 1913 के अधिनियम की धारा 22 (5) (ए) लागू नहीं होगी यदि डिक्री के बाद राशि वापस ले ली गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निष्पादन न्यायालय से डिक्री के पीछे जाने की उम्मीद नहीं है और इसलिए, न्यायालय को याचिकाकर्ता को राशि जमा करने की अनुमति देनी चाहिए। (9) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क है कि एक बार धारा 22 (1) के तहत जमा किए गए पूर्व-मुक्ति धन का पांचवां हिस्सा वापस ले लिया गया है, तो कोई 5 ए. आई. आर. 1924, लाहौर 68 318 नहीं है।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

(10) इस अदालत ने दलीलों पर विचार किया है और पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील की दलीलों का विश्लेषण किया है। (11) वर्तमान मामले के निर्णय के लिए, इस न्यायालय के समक्ष जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है, वह 1913 के अधिनियम की धारा 22 की व्याख्या से संबंधित है, जिसे निम्नानुसार निकाला गया हैः -

(ख) यदि किसी कारण के लिए इस प्रकार दी गई कोई प्रतिभूति अमान्य या अपर्याप्त हो जाती है, तो न्यायालय वादी को न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर नई प्रतिभूति प्रस्तुत करने या प्रतिभूति बढ़ाने का आदेश देगा और यदि वादी ऐसे आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो वाद या अपील खारिज कर दी जाएगी। (6) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए किए गए संभावित मूल्य का अनुमान किसी भी निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा-हमीर सिंह बनाम नरेश कुमार और अन्य।

319

( अनिल क्षेत्रपाल, जे.)

बाद में यह पता चलता है कि भूमि या संपत्ति का बाजार मूल्य क्या है। ”

अन्य 6, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार वादी ने अपनी इच्छा से पूर्व-मुक्ति राशि का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो वाद या अपील है - 6 1970 पंजाब लॉ जर्नल 585 320

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2024(1)

रिपोर्टर-डॉ. पायल मेहता 7 ए. आई. आर. 1983 पी एंड एच, 259